Merchandise Act, Foreign Exchange Regulation Act etc. There is no misuse of Government approval in this regard.

देश में ऊर्जा का विकास

*72. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली योजना से लेकर सातवीं योजना तक देश में ऊर्जा के विकास संसाधनों के विकास और उपयोगिता दर के संबंध में स्थिति क्या रही है तथा देश अपनी ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं में कहां तक पिछड़ा हुआ है और इस कमी को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है और इस दिशा में क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) इस संबंध में विशेषज्ञों से कब परामर्श किया गया था, उनकी क्या राय थी तथा उसे देखते हुए सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही आरम्भ की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) देश में बिजली उत्पादन क्षमता पहली योजना के प्रारम्भ में लगभग 1700 मेगावाट से बढ़कर सातवीं योजना के दूसरे वर्ष के अन्त तक लगभग 49300 मेगावाट हो गई है। बिजली का उत्पादन वर्ष 1950 में 5.1 बिलियन यूनिट से बढ़कर 1986-87 में 187.5 बिलियन यूनिट हो गया है। वर्ष 1986-87 के दौरान ऊर्जा की कमी 9.4% थी। यह अनुमान लगाया गया है कि सातवीं योजना के दौरान 22245 मेगावाट क्षमता की वृद्धि हो जाने से ऊर्जा की कमी घटकर 5.4% रह जाएगी।

पहली और छठी योजनाओं के अन्तिम वर्षों में कोयले का उत्पादन क्रमशः क्रमशः 38.23 और 147.41 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष के दौरान उत्पादन लक्ष्य 226 मिलियन टन का है। यह लक्ष्य 1989-90 में कोयले की प्रत्याशित आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रखा गया है।

देश में कच्चे तेल का उत्पादन 1950-51 में 0.26 मिलियन टन से बढ़कर 1984-85 में 28.99 मिलियन टन हो गया है। सातवीं योजना के अन्त तक इसके बढ़कर 34.53 मिलियन यनिट हो जाने की संभावना है। तेल के मामले में आत्म निर्भरता की मात्रा 1976-77 में 34.7% से बढ़कर 1989-90 में 61.0% हो जाने की संभावना है।

ऊर्जा की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए किए गए उपायों में ये शामिल हैं; नई विद्युत उत्पादन क्षमता में शीघ्र वृद्धि करना, विद्यमान क्षमता का बेहतर समुपयोजन करना, पारेषण और वितरण हानियों को कम करना, कोयले की खोज और उत्खनन के लिए नई प्रौद्योगिकियां लागू करना, तेल की खोज संबंधी कार्य को गहन करना, तेल को निकालने की तकनीक में सुधार करना, तेल शोधक कारखानों में होने वाली हानियों को कम करना, नए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास करना तथा मांग प्रबंध एवं ऊर्जा संरक्षण संबंधी उपायों को क्रियान्वित करना।

(ख) ऊर्जा के क्षेत्र में कार्यक्रमों की आयोजना और क्रियान्वयन पूर्णतः विशेषज्ञों की सलाह पर किया जाता है, जिसका सतत आधार पर उपयोग किया जाता है।

Amount of royalty on oil paid be Gujarat

*73. SHRI SHANKER SINH VAGHELA: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) the amount of royalty paid to Gujarat Government on oil produced in Gujarat during the last three years, yearwise;

(b) the quantity of crude oil imported in the country during the last three years, year-wise; and

(c) the average price paid per tonne during each of the last three years?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI BRAHM DUTT): (a):

Period	Amount of royalty (Rs. in lakhs)
1983-84	1926·79
1984-85	7447·78
1985-86	8189·75

(b) and (c):

Year	Quantity (Million tonne)	CIF value Rs/tonne
1983-84 . . .	15·97	2218
1984-85 . . .	13·64	2515
1985-86 (Provisional) . . .	15·14	2435

Cases of compensation to the Bhopal Gas Tragedy victims

*74. SHRI AJIT P. K. JOGI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) what is the latest position regarding settlement of the compensation cases of the unfortunate victims of Bhopal Gas Tragedy;

(b) in view of the fact that litigation will take a very long time for the settlement of these claims whether Government are thinking in terms of any other mode of the settlement of these claims; and

(c) if so, what are the details thereto?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): (a) to (c) The Union of India has filed a suit in the Court of District Judge, Bhopal against Union Carbide Corporation in September, 1986, claiming compensation for the Bhopal gas tragedy victims and the same is being vigorously followed up. The court has issued a non-destruct order applicable to both the parties and has also directed the Union Carbide Corporation to maintain unencumbered assets of a fair market value of $ 3 billion to meet the decree if any, that may be passed by the court.

The court has also put forth to the parties a proposal for reconciliatory substantial interim relief to the gas victims and the matter is pending in the court. The next date for hearing in the case has been fixed for 6th May, 1987.

Industrial units under Central Sector in Karnataka and Maharashtra

*75. SHRI M. S. GURUPADA-SWAMY:

SHRI ASHOK NATH VERMA:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the details of the industrial units in the central or centrally sponsored sectors set up in the States of Karnataka and Maharashtra during the last three years; and

(b) the investment made in these units during the above period?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (PROF. K. K. TEWARY): (a) and (b) Videsh Sanchar Nigam Ltd. was established in Maharashtra in April 1986, with an authorised Capital of Rs. 100 crores. The details of units in the